न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर०ए०एस०

मि०न० — 04/2025

अनवान : —

1. अशोक कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. साहबराम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री पूनमचंद वर्मा प्रार्थी
श्री विनोद शर्मा अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 5/3/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एमएसआर के खाता सं0 6/6 के मु0 न0 30 के किला न0 25/1, मु0 न0 54 के किला न0 13, 18, मु0 न0 55 के किला न0 25, मु0 न0 64 के किला न0 6, 14, कुल 1.2400है0 प्रार्थी के नाम व रोही मौजा चक 7 एमएसआर के खाता सं0 95/9 के मु0 न0 30 के किला न0 25/2, मु0 न0 55 के किला न0 23, 24, मु0 न0 64 के किला न0 4, 7 कुल 1.0750है0 खातेदारी अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के रोही मौजा चक 7 एमएसआर के खाता सं0 95/9 के मु0 न0 55 के किलान0 23 व 24 में से प्रत्येक किला की 0.0130है0 दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के रोही मौजा चक 7 एमएसआर के खाता सं0 95/9 के मु0 न0 55 के किलान0 23 व 24 में से प्रत्येक किला की 0.0130है0 दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए रास्ता की भूमि के एवज में प्रार्थी ने रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:40:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अपनी भूमि में से भूमि देना स्वीकार किया है । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 7 एमएसआर के खाता सं0 6/6 के मु0 न0 30 के किला न0 25/1, मु0 न0 54 के किला न0 13, 18, मु0 न0 55 के किला न0 25, मु0 न0 64 के किला न0 6, 14, कुल 1.2400है0 में आवगमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी रोही मौजा चक 7 एमएसआर के खाता सं0 95/9 के मु0 न0 55 के किलान0 23 व 24 में से प्रत्येक किला की 0.0130है0 दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता का उपयोग करता है उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है जिसके प्रतिफल में प्रार्थी की भूमि के मु0 न0 64 के किला न0 14 की 0.101है0 में से 0.039है0 पश्चिम तरफ की भूमि कम की जाकर अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज की जावे। इस प्रकार प्रार्थी के आवागमन तथा नियमित उपयोग–उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 7 एमएसआर के खाता सं0 95/9 के मु0 न0 55 के किला न0 23 व 24 में से प्रत्येक किला की 0.0130है0 (एक–एक गट्ठा चौड़ा रास्ता) दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे एवं रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थी की भूमि के मु0 न0 64 के किला न0 14 की 0.101है0 मे से 0.039है0 पश्चिमी तरफ की भूमि कम की जाकर अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे।

निर्णय आज दिनांक 4/3/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:00:24 IST
Reason: SelfAttested